Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 16-12-2005

Participants : Majhi Shri Shankhlal

an>

Title : Need to include various sub-castes of Machhua community in the list of Scheduled Castes.

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : मान्यवर, हिन्दुस्तान के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय यह व्यवस्था की थी कि समाज के दबे कुचले लोगों का सामाजिक, शैक्षिक और राजनैतिक स्तर उठाने के लिए उन्हें अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए।

महोदय, हिन्दुस्तान के 16 सूबों में मछुआ समुदाय की उपजातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में गोड, खरवार, मझवार अनुसूचित जाति में शामिल हैं लेकिन इनकी उपजातियां मल्लाह, केवट, बाथम, तियार, चाई, तुरहा, विन्द, धीवर, कंहार, कश्यप, गोड़िया, माझी आदि को यह सुविधा नहीं मिली है। यह आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृटि से इतना विपन्न समाज है कि आज़ादी के 58 साल बाद भी इस मछुआ समुदाय के लोगों की संख्या लाखों में होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक भी आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारी इस समुदाय का नहीं है। यह इनके शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का नमूना है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Majhi, you may raise only one matter and you cannot raise both the matters.

श्री शंखलाल माझी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें दो मिनट का समय दें। हम नये सदस्य हैं। नए सदस्यों को भी समय मिलना चाहिए। मैं जो विाय उठा रहा हूं वह किसी व्यक्ति विशेा से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे समाज और समूह का विाय है जिनके साथ आज़ादी के 58 सालों बाद भी अन्याय हो रहा है और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह समाज सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से विपन्न समाज cè[h45]। इन जातियों को अनुसूचित जाति के तहत लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को संतुति भी की है। मेरा मांग है कि उत्तर प्रदेश की मछुआ और अन्य उप जातियां हैं, जिनको पहले यह सुविधा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है, उन्हें अनुसूचित जाति की सुविधा मिलनी चाहिए। भारत सरकार से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश ने जो संस्तुति भारत सरकार से की है, उसे स्वीकार करके इन जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधा दें।